

## व्यापार संगठनों ने राजस्थान सरकार से नविश नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में व्यापार निकायों ने राज्य को नविशक-अनुकूल बनाने के लिये राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना (RIPS) और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) जैसी नीतियों को बदलने का अनुरोध किया।

### मुख्य बट्टि:

- RIPS नीति में नविशकों को **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)**, वदियुत शुल्क, भूमिकर, स्टांप शुल्क आदिपर सबसडिी मलित्ती है।
- MLUPY योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुवधियाजनक बनाने और रोजगार सृजन के लिये रयियायती बैंक ऋण प्रदान करती है।
- **एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)** के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के प्रमुख सचवि, उद्योग और वाणज्यि से मुलाकात की।
  - इसमें बताया गया है कि RIPS के तहत **ब्याज लाभ सावधि ऋण पर उपलब्ध थे, लेकिन कार्यशील पूंजी ऋण पर नहीं।**
  - प्रतिनिधिमंडल ने योजनाओं के बारे में **उद्योग-व्यापी जागरूकता कार्यक्रम** चलाने का अनुरोध किया।
  - इसने यह भी अनुरोध किया कि **भंडारण क्षेत्र को उद्योगों के पूरवावलोकन के तहत कवर किया जाए।**

### राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

- राज्य में तीव्र, सतत् एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये **17 दसिंबर, 2019** से 'राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना-2019' लागू की गई।
- इसमें वनिरिमाण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नए नविश के लिये **7 वर्ष के SGST**, वदियुत कर स्टांप ड्यूटी का **75% रचिरज** भी किया जा रहा है।
  - इसके साथ ही मंडी शुल्क में 100 फीसदी जैसी रयियायतें भी दी जा रही हैं।

### मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

- यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुवधियाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदान करने के लिये **वत्तित्तीय संस्थानों के माध्यम से रयियायती ऋण प्रदान करने** के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- योजना के तहत वत्तित्तीय संस्थानों जैसे **(राष्ट्रीयकृत वाणज्यिक बैंक, नज्जी क्षेत्र के अनुसूचित वाणज्यिक बैंक, अनुसूचित लघु वत्तित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वत्तित्तीय नगिम, सडिबी एवं शहरी सहकारी बैंक)** के माध्यम से वनिरिमाण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिये ऋण प्रदान किया जाएगा।